छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं
रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 13/08/2017

क्रमांक एफ 9–28/2017/तक.शि./42, ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 19.07.2017 को रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई छत्तीसगढ़ के बी.ई. पाठ्यक्रम की फीस का पुनरीक्षण वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 तथा 31 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम का फीस पुनरीक्षण वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिये कर दिया गया है । यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता । संस्थाओं का निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट में संलग्न है। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. परिशिष्ट में शामिल 31 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की फीस सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में प्रथम वर्ष में तथा सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये तथा रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई की फीस सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में प्रथम वर्ष में तथा सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिय लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी ।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कॉशन मनी रु. 1500/– केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एक्रीडिटेटेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 1000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकता है। यह शुल्क एक्रीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिये एक्रीडिटेशन है) के लिये ही लिया जा सकता है। यदि एक्रीडिटेशन की अवधि समाप्त हो जाती है तो यह शुल्क देय नहीं होगा ।
6. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं ''न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
7. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है । यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो ।
8. द्वितीय एवं उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिवस पश्चात तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/– प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है ।
9. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाईन नहीं ले सकती है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।

10. विद्यार्थी के द्वारा संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर संस्था को विधि अनुकूल तथा एआईसीटीई/यूजीसी/राज्य शासन के दिशा निर्देशो और लागू नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को फीस वापस की जावेगी।

11. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राषि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है ।
14. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
15. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)
संयुक्त सचिव
छ0ग0शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

पृ.कमांक एफ 9–28/2017/तक.शि./42 — नया रायपुर, दिनांक 13/~~08~~ 09/2017

प्रतिलिपि :–
1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, ब्लाक–4–D भूतल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई।
5. रजिस्ट्रार, सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर।
6. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, रायपुर।
7. समस्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय .... को पालनार्थ ।
8. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छ0ग0शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

आदेश कमांक एफ 9–28/2017/तक.शि./42 दिनांक 13 /09/2017 का परिशिष्ट

SCHEDULE-A

FEE STRUCTURE FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-18, 2018-19 & 2019-20 Relating to Discipline :- B.E.

S. N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weight-age and adm/all other fees including miscellaneous Fees in Rs.)
1	Bhilai Institute of Technology, Durg	Rs 36,115/-
2	Raipur Institute of Technology, Raipur	Rs 36,115/-
3	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	Rs 36,115/-
4	Shri Shankaracharya Technical Campus- Shri Shankaracharya Group of Institutions (Shri Shankaracharya College of Engineering & Technology), Bhilai	Rs 36,115/-
5	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg	Rs 36,115/-
6	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	Rs 36,115/-
7	Choukse Engineering College, Lal Khadan,Bilaspur	Rs 36,115/-
8	Chhattisgarh Institute of Technology, Rajnandgaon	Rs 34,865/-
9	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	Rs 36,115/-
10	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	Rs 36,115/-
11	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	Rs 33,615/-
12	MM College of Technology, Raipur	Rs 34,865/-
13	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management, Bhilai	Rs 36,115/-
14	Ashoka Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	Rs 33,615/-
15	Bharti College of Engineering & Technology Durg	Rs 33,615/-
16	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Dist. Durg	Rs 34,865/-
17	GD Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	Rs 36,115/-
18	RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	Rs 36,115/-
19	Garv Institute of Management & Technology, Durg	Rs 33,615/-
20	J.K. Institute of Engineering, Bilaspur	Rs 34,865/-
21	OP Jindal Institute of Technology, Raigarh	Rs 34,865/-
22	Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur	Rs 34,865/-
23	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur	Rs 34,865/-
24	Columbia Institute of Engineering & Technology, Raipur	Rs 34,865/-
25	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur	Rs 36,115/-
26	School of Engineering & IT, MATS University, Dist. Raipur	Rs 34,865/-
27	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Raipur	Rs 34,100/-
28	Central College of Engineering & Management, Raipur	Rs 36,115/-
29	Kruti Institute of Technology & Engineering Nardaha, Raipur	Rs 34,865/-
30	Kirodimal Institute of Technology & Scinence, Raigarh	Rs 33,615/-
31	Institute of Technology, Korba	Rs 34,865/-

SCHEDULE-B

FEE STRUCTURE FOR THE ACADEMIC SESSION 2016-17, 2017-18 & 2018-19 Relating to Discipline :- B.E.

S. N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weight-age and All other Miscellaneous Fee in Rs.)
1	Rungta Engineering College, Bhilai	Rs 33,015/-

संयुक्त सचिव
छ0ग0शासन
कौशल विकास, तक. शिक्षा
एवं रोजगार विभाग